राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(4)कृषि/ग्रुप–2/2018 जयपुर, दिनांक 21 FEB 2018

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में होने वाले कृषि उपज के व्यापार में अधिक से अधिक डिजीटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार ई–भुगतान प्रोत्साहन योजना जारी की जाती हैः–

ई–भुगतान प्रोत्साहन योजना

1. योजना का उद्देश्य

- कृषि विपणन के लिये कृषको को ई–ट्रेडिंग व ई–भुगतान हेतु प्रेरित करने एवं कृषको को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है।
- यह योजना राज्य के उन सभी कृषकों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज का विक्रय राज्य की मण्डी समितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (ई–नाम/रिम्स) के माध्यम से करेंगे।
- यह योजना मण्डी समिति द्वारा जारी "क" वर्ग दलाल या व्यापारी/"क" वर्ग दलाल एवं व्यापारी (संयुक्त वर्ग) के वैध अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायी पर भी प्रभावी होगी।
- यह योजना एक वित्तीय वर्ष पर आधारित होगी।
- कृषि उपज विक्रेता को प्रत्येक ई–भुगतान को एक इकाई माना जावेगा। यह ई–भुगतान मण्डी के वैध अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी द्वारा विक्रेता को जारी की जावेगी जिस पर यूजर चार्ज/मण्डी शुल्क देय होगा।
- इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मण्डी विकास निधि द्वारा वहन किया जावेगा।

2. योजना की कियान्विति

- इस योजना का कियान्वयन निदेशक कृषि विपणन के निर्देशन में कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जावेगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में योजना के चालू होने के संबंध मे निदेशक द्वारा जनसम्पर्क निदेशालय के माध्यम से दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों मे इस आशय की विज्ञप्ति जारी की जावेगी, जिसमें लॉटरी पद्वति द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का विवरण,लॉटरी खोले जाने की तिथि, स्थान एवं समय का विवरण अंकित होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में लॉटरी ड्रा निकाले जाने की तिथि स्थान एवं समय मे परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराकर सर्व साधारण को इसकी जानकारी दी जावेगी। ऐसी सूचना जिला कलेक्टर, तहसील, कृषि विपणन विभाग के खण्डीय कार्यालयों, पंचायत समितियों एवं मण्डी समितियों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी सूचना उपलब्ध कराई जावेगी।
- इस योजना मे कृषि विपणन विभाग के अधीन सम्पूर्ण राज्य एक इकाई माना जायेगा। ई–पोर्टल के माध्यम से हुए व्यापार पर जारी ई–विक्रय पर्चीयों के क्रमांक के आधार पर पुरस्कार निकाले जायेगें।

3. योजना के अन्तर्गत कृषकों एवं व्यापारियों के लिए पुरस्कार –

(I). राज्य स्तर पर

1	प्रथम पुरस्कार	01–01 लाख रूपये के एक–एक पुरस्कार (व्यापारी एवं कृषक)
2	द्वितीय पुरस्कार	50–50 हजार रूपये के दो–दो पुरस्कार (व्यापारी एवं कृषक)

(II). खण्ड स्तर पर

1	प्रथम पुरस्कार	50–50 हजार रूपये के एक–एक पुरस्का (व्यापारी एवं कृषक–प्रत्येक खण्ड मे एक पुरस्कार)
2	द्वितीय पुरस्कार	25–25 हजार रूपये के दो–दो पुरस्कार (व्यापारी एवं कृषक–प्रत्येक खण्ड में दो पुरस्कार)